

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 24-10-2026

विषय सूची

भारत में विधान परिषदें

भारत और अजरबैजान के बीच राजनयिक संबंधों को पुनः सामान्य बनाने की पहल

ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी नियमों में प्रस्तावित संशोधन

सामाजिक अशांति के अर्थशास्त्र को समझना

संक्षिप्त समाचार

वुमिडी एथिराज

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)

कृषि-फोटोवोल्टाइक्स

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय का हानि एवं क्षति कोष

नागरिक सुरक्षा नेटवर्क

पेंगुइन की बीट से अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की गति बढ़ने की आशंका

ऑस्कर क्लाइन पदक

भारत में विधान परिषदें

संदर्भ

- उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की विधान परिषदों की कुल 28 सीटों के लिए निर्वाचन संपन्न हुए।

विधान परिषदें

- भारतीय संघ में द्विसदनीय संसद की व्यवस्था है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। इसी प्रकार, कुछ राज्यों में विधान सभा के साथ-साथ विधान परिषद भी होती है।
- वर्तमान में छह राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक—में विधान सभा तथा विधान परिषद, दोनों विद्यमान हैं।
- इतिहास:** मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के परिणामस्वरूप वर्ष 1919 में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य परिषद का गठन हुआ।
 - इसके पश्चात्, भारत शासन अधिनियम, 1935 के माध्यम से भारतीय प्रांतों में द्विसदनीय विधायिकाओं की स्थापना की गई।
 - इसी अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1937 में बंगाल में विधान परिषद ने प्रथम बार कार्य करना प्रारंभ किया।

संवैधानिक आधार

- विधान परिषद का गठन:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 विधान परिषद के गठन एवं उन्मूलन से संबंधित है। इसके अंतर्गत संसद कानून बनाकर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है अथवा उसे समाप्त कर सकती है।
 - इसके लिए संबंधित राज्य की विधान सभा को अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करना होता है।
- संरचना:** अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना निर्धारित करता है। किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती तथा यह संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए।
- निर्वाचन:** विधान परिषद के निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत कराए जाते हैं। मतदाता उम्मीदवारों की सूची में अपनी प्राथमिकताओं के क्रम के अनुसार मतदान करते हैं।
- विधान परिषद के सदस्य बनने की पात्रता:** किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना तथा उसकी आयु कम-से-कम 30 वर्ष होना आवश्यक है।

- विधान परिषद की कार्यवाही का संचालन सभापति और उपसभापति द्वारा किया जाता है।
- कार्यकाल:** विधान परिषद के लगभग एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य का सामान्य कार्यकाल छह वर्ष होता है।
 - भारत के प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, क्योंकि संविधान में इसकी व्यवस्था वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।
 - प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकताओं, व्यय तथा प्रशासनिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय ले सकता है कि उसके लिए विधानमंडल का दूसरा सदन आवश्यक है या नहीं।

विधान परिषदों के कार्य

- विधायी कार्य:** विधान परिषद, विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करती है तथा उनमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। इससे कानून निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता मिलती है।
- विचार-विमर्श संबंधी कार्य:** यह सार्वजनिक मुद्दों, सरकारी नीतियों तथा राज्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती है।
- विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व:** यह स्नातकों, शिक्षकों, स्थानीय निकायों तथा विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है।
- वित्तीय कार्य:** विधान परिषद वित्तीय विषयों पर चर्चा कर सकती है तथा धन विधेयकों पर सुझाव दे सकती है। हालाँकि, इसे धन विधेयक प्रस्तुत करने अथवा उसके पारित होने को रोकने का अधिकार नहीं है।
- कार्यपालिका पर निगरानी:** विधान परिषद मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, सरकारी नीतियों पर चर्चा कर सकती है तथा सरकार के कामकाज की समीक्षा कर सकती है। हालाँकि, इसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को हटाने का अधिकार नहीं है।
- निरंतरता:** एक स्थायी सदन होने के कारण विधान परिषद विधायी अनुभव और संस्थागत निरंतरता को बनाए रखती है। इसे भंग नहीं किया जाता तथा इसके लगभग एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।

विधान सभा और विधान परिषद के बीच अंतर

आधार	विधान सभा	विधान परिषद्
प्रतिनिधित्व का स्वरूप	यह प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है।	यह राज्य की जनसंख्या के विशिष्ट वर्गों तथा स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करती है।
निर्वाचन	इसके सदस्य मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।	इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अथवा मनोनीत होते हैं।
न्यूनतम आयु	25 वर्ष	30 वर्ष
कार्यकाल	5 वर्ष	स्थायी सदन; सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
साधारण विधेयक	मतभेद बने रहने की स्थिति में इसे अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है।	यह विधेयक को विलंबित कर सकती है, लेकिन इसे स्थायी रूप से रोक नहीं सकती।
धन विधेयक	धन विधेयक प्रस्तुत एवं पारित कर सकती है।	यह केवल 14 दिनों के अंदर संशोधनों की सिफारिश कर सकती है।

स्रोत: IE

भारत और अज़रबैजान के बीच राजनयिक संबंधों को पुनः सामान्य बनाने की पहल

संदर्भ

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अज़रबैजान यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उत्पन्न मतभेदों के बाद भारत-अज़रबैजान संबंधों को पुनः सामान्य बनाने के प्रयास का संकेत देती है।

पृष्ठभूमि

- ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव:** भारत द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बाद अज़रबैजान ने तुर्किये के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त किया था। इसके लिए उसने 'श्री ब्रदर्स' गठबंधन का उदाहरण दिया।
- कश्मीर मुद्दा:** अज़रबैजान निरंतर यह पक्ष रखता रहा है कि जम्मू-कश्मीर विवाद का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- भू-राजनीतिक संदर्भ:** पाकिस्तान के साथ अज़रबैजान के घनिष्ठ रणनीतिक संबंध हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने नागोर्नो-काराबाख संघर्ष में अज़रबैजान का समर्थन किया है।
 - इसके विपरीत, भारत ने आर्मेनिया के साथ अपने संबंधों को विशेष रूप से रक्षा सहयोग के क्षेत्र में अधिक सुदृढ़ किया है।

- अज़रबैजान ने भारत पर आर्मेनिया को सैन्य समर्थन प्रदान करने का आरोप लगाया है।

हालिया राजनयिक संवाद

- व्यापार एवं निवेश:** दोनों पक्षों ने व्यापार तथा ऊर्जा सहयोग के विस्तार की संभावनाओं की पहचान की और व्यापक आर्थिक सहभागिता की संभावनाओं को स्वीकार किया।
- ऊर्जा सहयोग:** चर्चा में तेल एवं ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आर्थिक साझेदारी के अतिरिक्त क्षेत्रों की संभावनाओं का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- संपर्क एवं परिवहन:** दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के संबंध में अधिक निकट समन्वय स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
- क्षमता निर्माण:** भारत ने भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम में अज़रबैजान के पेशेवरों की भागीदारी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।

भारत-अज़रबैजान संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- राजनयिक संबंध:** भारत ने दिसंबर 1991 में अज़रबैजान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान की। यह मान्यता अज़रबैजान द्वारा सोवियत संघ से स्वतंत्रता घोषित किए जाने के तुरंत बाद दी गई थी।
- दोनों देशों के बीच फरवरी 1992 में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
- आर्थिक संबंध:** दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2005 में लगभग 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2022 में 1.882 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो सुदृढ़ आर्थिक सहभागिता को दर्शाता है।
 - इसके बाद के वर्षों में व्यापार में गिरावट आई और वर्ष 2025 में यह घटकर 401 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। इसका प्रमुख कारण भारत द्वारा कच्चे तेल के आयात में कमी आना था।
 - भारत अज़रबैजान को औषधियाँ, चावल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तथा निर्माण सामग्री जैसी विविध वस्तुओं का निर्यात करता है।
- ऊर्जा सहयोग:** ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अज़रबैजान में तेल एवं गैस क्षेत्रों तथा पाइपलाइन परियोजनाओं में निवेश बनाए हुए है।
 - कंपनी ने अज़ेरी-चिराग-गुनाशली तेल क्षेत्र तथा बाकू-त्बिलिसी-जेहान पाइपलाइन में हिस्सेदारी अर्जित की है।

- यह सहयोग भारत के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के प्रयासों में योगदान देता है तथा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कैस्पियन क्षेत्र में भारत की सहभागिता को बढ़ाता है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का एक प्रमुख उदाहरण बाकू स्थित 18वीं शताब्दी का 'अतेशगाह' अग्नि मंदिर है। यहाँ देवनागरी और गुरुमुखी लिपियों में अभिलेख मिलते हैं, जो ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों को दर्शाते हैं।
- **मानवीय सहयोग:** ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमलों के दौरान अज़रबैजान ने 200 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में सहायता प्रदान की।
 - अज़रबैजान में भारतीय समुदाय में लगभग 1,000 लोग शामिल हैं, जो विभिन्न व्यावसायिक एवं पेशेवर क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

भारत के लिए अज़रबैजान का महत्व

- **भौगोलिक स्थिति:** अज़रबैजान यूरोप, रूस, मध्य एशिया तथा कैस्पियन क्षेत्र के चौराहे पर स्थित है।
- **संपर्क एवं परिवहन:** अज़रबैजान अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के लिए महत्वपूर्ण है। यह गलियारा भारत को रूस, मध्य एशिया और यूरोपीय बाजारों तक पहुँचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** अज़रबैजान कैस्पियन क्षेत्र का एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देश है तथा भारत की ऊर्जा साझेदारियों का विस्तार करने की पर्याप्त क्षमता रखता है।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियाँ

- कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों के बीच मतभेद द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का एक प्रमुख कारण बने हुए हैं।
- पाकिस्तान के साथ अज़रबैजान के घनिष्ठ रणनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास निर्माण की प्रक्रिया में चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।

आगे की राह

- अज़रबैजान के साथ भारत की सहभागिता एक व्यावहारिक एवं बहु-संरचित विदेश नीति दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हितों के बीच संतुलन स्थापित करना है।
- संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया राजनयिक तनावों के समाधान में संवाद तथा पारस्परिक समायोजन के महत्व को रेखांकित करती है।

- अपेक्षा है कि दोनों देश स्थिर एवं दूरदर्शी साझेदारी विकसित करने के लिए पूर्ववर्ती मतभेदों की तुलना में दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देंगे।

स्रोत: TH, IE

ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी नियमों में प्रस्तावित संशोधन

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में व्यापक संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकताओं को अधिक कठोर बनाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी नियमों में परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है।

नियमों में प्रस्तावित बदलाव

- **लर्नर लाइसेंस परीक्षा के सख्त मानदंड:** प्रारंभिक लर्नर लाइसेंस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है।
 - आवेदकों को लर्नर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सात दिनों के स्थान पर 15 दिन दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, उन्हें कम-से-कम 30 मिनट का सुरक्षित वाहन चालन संबंधी प्रशिक्षण सत्र पूरा करना होगा।
- **दस्तावेजीकरण:** आवेदकों को पते, आयु और पहचान के अलग-अलग प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
 - स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ई-राशन कार्ड, पैन कार्ड तथा सरकार द्वारा जारी कुछ अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज शामिल होंगे।
 - विगत तीन माह के अंदर जारी किए गए विद्युत और घरेलू गैस के बिलों को भी पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।
 - विदेशी आवेदकों को भारत में अपनी वैध उपस्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- **लाइसेंस संबंधी सेवाओं का सरलीकरण:** एक नया प्रपत्र 2A प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लिकेट लाइसेंस जारी करना, नाम या पते में परिवर्तन, व्यक्तिगत विवरणों को अद्यतन करना तथा वाहन श्रेणियों को जोड़ने संबंधी आवेदनों को एकीकृत किया जाएगा।
 - मसौदे में लाइसेंस धारक के नाम, पते अथवा अन्य दर्ज विवरणों में परिवर्तन के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का प्रस्ताव है।

- **चिकित्सकीय जानकारी का प्रकटीकरण:** आवेदकों को अधिक विस्तृत चिकित्सकीय जानकारी देनी होगी। इसमें मिर्गी अथवा अन्य दौरे संबंधी विकार, श्रवण क्षमता में कमी, रतौंधी, दवाओं से एलर्जी तथा शरीर में लगाए गए चिकित्सकीय या शल्य चिकित्सा संबंधी प्रत्यारोपणों की जानकारी शामिल होगी।
 - जिन व्यक्तियों को मिर्गी या दौरे संबंधी विकार होने की जानकारी है और जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान दौरा पड़ा है, अथवा जो वर्तमान में मिर्गी-रौंधी दवाएँ ले रहे हैं या इन दवाओं की खुराक धीरे-धीरे कम करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, वे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्र नहीं होंगे।
 - दवाओं से एलर्जी, प्रत्यारोपणों तथा कुछ अन्य चिकित्सकीय जानकारी का उपयोग केवल उस स्थिति में किया जाएगा, जब संबंधित व्यक्ति सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होता है।
 - मसौदे में लाइसेंस आवेदन में रक्त समूह तथा आपातकालीन संपर्क विवरण जैसी जानकारियाँ एकत्र करने का भी प्रस्ताव है।
- **लाइसेंस का मानकीकृत प्रारूप:** ड्राइविंग लाइसेंस के निर्धारित प्रारूप के रूप में लैमिनेटेड कार्ड अथवा पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) कार्ड का प्रस्ताव है। लाइसेंस के लिए पृष्ठभूमि के विभिन्न रंग संयोजन निर्धारित किए जाएंगे तथा लाइसेंस के विवरणों में राष्ट्रीयता को भी शामिल किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन का महत्त्व

- **सड़क सुरक्षा में सुधार:** परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिक न्यूनतम अंक निर्धारित करने से यातायात नियमों तथा सुरक्षित वाहन चालन संबंधी प्रथाओं की बेहतर समझ विकसित करने को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **जीवनयापन में सुगमता:** शुल्क में छूट, ऑनलाइन आवेदन तथा दस्तावेजीकरण की सरल प्रक्रिया से अनुपालन संबंधी लागत कम होगी और लाइसेंस कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता घटेगी।
- **प्रशासनिक पारदर्शिता:** निर्णय लेने के लिए निर्धारित समय-सीमा तथा आवेदन अस्वीकार किए जाने के कारणों को दर्ज करने की व्यवस्था से जवाबदेही में सुधार होगा।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार:** रक्त समूह और आपातकालीन संपर्क विवरण एकत्र करने से आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इसके लिए उपयुक्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

आगे की राह

- **मूल्यांकन की गुणवत्ता:** परीक्षा में यातायात नियमों की जानकारी, संभावित खतरों को पहचानने की क्षमता तथा सड़क के असुरक्षित या संवेदनशील उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा संबंधी समझ का सार्थक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- **कठोर व्यावहारिक परीक्षाएँ:** वाहन चालन की व्यावहारिक परीक्षाओं को मानकीकृत, वस्तुनिष्ठ तथा हेरफेर या अनुचित विवेकाधिकार से मुक्त बनाया जाना चाहिए।
- **डिजिटल सुलभता:** ऑनलाइन सेवाओं के साथ उन आवेदकों के लिए सुलभ सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए, जिन्हें डिजिटल माध्यमों अथवा पहचान प्रमाणीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **डेटा संरक्षण:** अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं चिकित्सकीय जानकारी केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए एकत्र और उपयोग की जानी चाहिए तथा उसकी गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाए जाने चाहिए।

स्रोत: TH

सामाजिक अशांति के अर्थशास्त्र को समझना

संदर्भ

- यूरोपीय देशों में विभिन्न स्थानों पर लोग विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे सामाजिक अशांति के आर्थिक आयामों की ओर ध्यान आकर्षित हुआ है।

परिचय

- फ्रांस, अल्बानिया, बेल्जियम, इटली और पुर्तगाल में व्यापक जन-असंतोष सड़कों पर विरोध-प्रदर्शनों के रूप में सामने आ रहा है।
 - प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि किसी अर्थव्यवस्था में बढ़ती आर्थिक असमानताएँ सामाजिक अशांति को उत्पन्न करती हैं।
- ईंधन की बढ़ती कीमतें, विद्यालयों की स्थिति को लेकर असंतोष, सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट तथा आवास संकट इन विरोध-प्रदर्शनों के प्रमुख कारण हैं।

आय अंतराल

- आय अंतराल एक अनुपात है, जो किसी जनसंख्या में सबसे गरीब 50% लोगों और सबसे धनी 10% लोगों की औसत आय के बीच के अंतर को मापता है। यह अनुपात जितना अधिक होता है, आय असमानता उतनी ही अधिक होती है।
 - विश्व असमानता रिपोर्ट, 2026 के अनुसार, शीर्ष 10% और निचले 50% के बीच औसत आय का अंतर, शीर्ष 10% तथा निचले 50% के आय-हिस्सों के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है।

Income Gap between Top 10% and Bottom 50%

The Income Gap measures the average income difference between the poorest half and the richest tenth within a population. The higher the ratio, the greater the inequality.

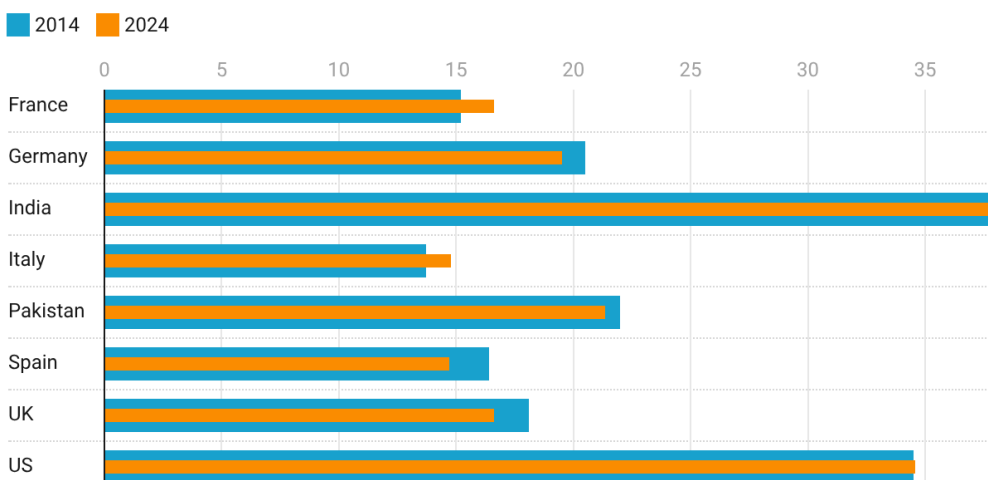


Chart: Udit Misra • Created with Datawrapper

- फ्रांस में वर्ष 2014 से 2024 के बीच आय अंतराल में वृद्धि हुई है। इटली में भी इसी प्रकार की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके विपरीत, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और स्पेन में यह अनुपात घटा है।
- यद्यपि फ्रांस में आय अंतराल बढ़ा है, फिर भी यह अपने आप में जर्मनी जैसे समकक्ष देशों की तुलना में सबसे कम स्तरों में से एक है।
- भारत में आय अंतराल का अनुपात 38 है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में यह 118 है।
- **मुद्रास्फीति में वृद्धि:** आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने से उनकी कमी उत्पन्न हो सकती है और कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसका प्रभाव विशेष रूप से निम्न-आय वाले परिवारों पर अधिक पड़ता है।
- **पर्यटन एवं व्यापार में गिरावट:** सामाजिक अशांति किसी क्षेत्र की सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में छवि को हानि पहुँचा सकती है। इससे पर्यटकों की संख्या, स्थानीय व्यवसायों का राजस्व तथा व्यापार के अवसर कम हो सकते हैं।
- **सरकारी वित्त पर दबाव:** सरकारों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, मुआवजा देने, पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता है। इससे विकासात्मक गतिविधियों के लिए उपलब्ध संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।

सामाजिक अशांति के आर्थिक परिणाम

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के एक अर्थशास्त्री के अनुसार, बड़े पैमाने पर होने वाली अशांति की घटनाओं के बाद औसतन छह तिमाहियों के अंदर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में एक प्रतिशत अंक की गिरावट देखी जाती है।
 - सामाजिक-आर्थिक कारणों से प्रेरित अशांति का संबंध राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित अशांति की तुलना में GDP में अधिक तीव्र संकुचन से होता है।
- **आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान:** विरोध-प्रदर्शन, हड़तालें और सड़क अवरोध उत्पादन, परिवहन, व्यापार तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक हानि होती है।
- **निवेश में गिरावट:** राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता से व्यावसायिक गतिविधियों में अनिश्चितता बढ़ती है। इससे घरेलू एवं विदेशी निवेश हतोत्साहित होता है तथा नई परियोजनाओं में देरी होती है।

निष्कर्ष

- सामाजिक अशांति से अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण लागत का भार पड़ सकता है, लेकिन यह वास्तविक जन-शिकायतों तथा संरचनात्मक असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का माध्यम भी बन सकती है।
- सतत आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समावेशी विकास, उत्तरदायी शासन तथा संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के माध्यम से सामाजिक अशांति के मूल कारणों का निराकरण करना आवश्यक है।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

वुम्मिडी एथिराज

संदर्भ

- चेन्नई स्थित प्रसिद्ध आभूषण निर्माता वुम्मिडी एथिराज का निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1947 में जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तुत किए गए सेंगोल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वुम्मिडी एथिराज के बारे में

- उनका जन्म 25 नवंबर, 1926 को हुआ था। वे दक्षिण भारत के आभूषण उद्योग की एक प्रमुख हस्ती थे।
- उन्होंने सेंगोल के निर्माण में योगदान दिया, जिससे उनके परिवार की पारंपरिक शिल्पकला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। विशेष रूप से वर्ष 2023 में नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के बाद यह पहचान और अधिक व्यापक हुई।

सेंगोल क्या है?

- विशेषताएँ:** यह पाँच फुट लंबा, स्वर्ण-मढ़ित चाँदी का राजदंड है, जिसके शीर्ष पर नंदी की आकृति बनी हुई है। इसे तमिलनाडु के तिरुवावडुथुराई अधीनम द्वारा बनवाया गया था।
- ऐतिहासिक महत्व:** स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर वर्ष 1947 में अधीनम के प्रतिनिधियों द्वारा इसे जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तुत किया गया था। यह सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था।
- सांस्कृतिक महत्व:** सेंगोल शब्द तमिल शब्द 'सेम्मै' से संबंधित है, जिसका अर्थ धार्मिकता, नैतिकता और न्यायपरायणता है। सेंगोल न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष शासन का प्रतीक है तथा तमिल राजसत्ता की परंपराओं से जुड़ा हुआ है।



स्रोत: IE

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)

संदर्भ

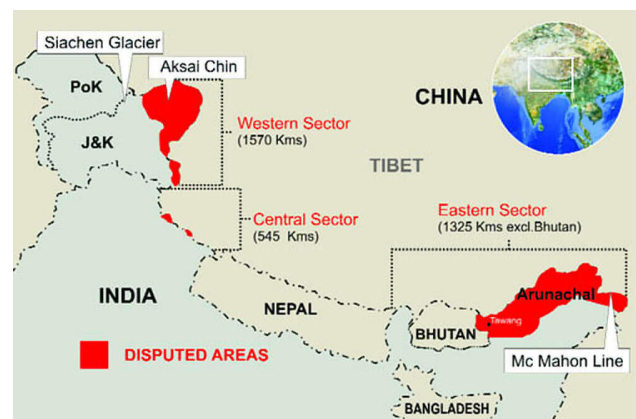
- विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि चीनी जनमुक्ति सेना (PLA) के गश्त संबंधी व्यवहार के कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की स्थिति प्रभावित हुई है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)

- वास्तविक नियंत्रण रेखा वह सीमांकन रेखा है, जो भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र को चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र से अलग करती है।
- भारत के अनुसार, LAC की लंबाई 3,488 किलोमीटर है, जबकि चीन इसे लगभग 2,000 किलोमीटर लंबा मानता है।
- इसे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:
 - पूर्वी क्षेत्र:** अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विस्तृत।
 - मध्य क्षेत्र:** उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में स्थित।
 - पश्चिमी क्षेत्र:** लद्दाख में स्थित।

मैकमोहन रेखा क्या है?

- मैकमोहन रेखा पूर्वी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करती है। यह विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की सीमा को दर्शाती है, जो पश्चिम में भूटान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक विस्तृत है।
- चीन ऐतिहासिक रूप से इस सीमा को विवादित मानता रहा है और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR) का हिस्सा बताता है।
- मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान किया गया था। इस सम्मेलन को आधिकारिक रूप से 'ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच सम्मेलन' कहा गया था।
- चीन मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता तथा अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा प्रस्तुत करते हुए इसे 'जांगनान' अथवा 'दक्षिण तिब्बत' कहता है। इसके विपरीत, भारत का स्पष्ट मत है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है।



LAC, पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा (LoC) से किस प्रकार भिन्न है?

- नियंत्रण रेखा (LoC):** इसकी उत्पत्ति वर्ष 1948 में कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से निर्धारित युद्धविराम रेखा से हुई थी।

- वर्ष 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद इसे नियंत्रण रेखा (LoC) नाम दिया गया।
- इसे दोनों देशों की सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMOs) द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र पर दर्शाया गया है। इसे दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अंतर्गत औपचारिक मान्यता प्राप्त है।
- **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC):** यह केवल एक अवधारणा है, जिस पर भारत और चीन के बीच सहमति नहीं है। इसे न तो किसी साझा मानचित्र पर स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है और न ही धरातल पर संयुक्त रूप से सीमांकित किया गया है।

स्रोत: TH

कृषि-फोटोवोल्टाइक्स

समाचारों में

- नई दिल्ली में 'वैश्विक दक्षिण को ऊर्जा प्रदान करना' विषयवस्तु के अंतर्गत सातवाँ एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया।

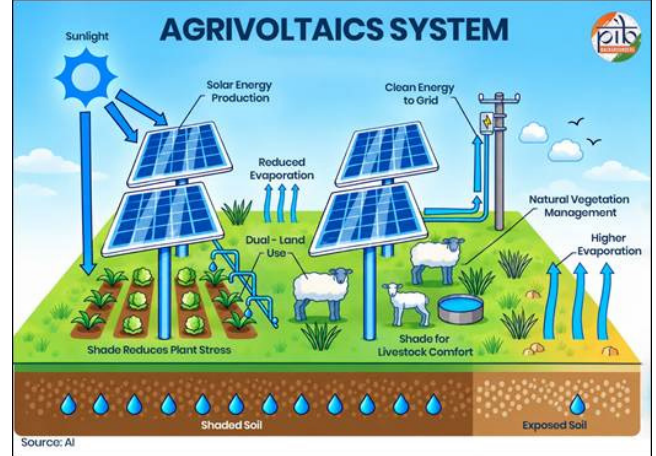
कृषि-फोटोवोल्टाइक्स

- इसे एग्रीसोलर अथवा दोहरे उपयोग वाली सौर ऊर्जा प्रणाली भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भूमि उपयोग की दक्षता को अधिकतम करना है।
- यह फसलों को छाया प्रदान करती है तथा किसानों के लिए अतिरिक्त लाभ उत्पन्न करती है।
- इस प्रणाली में स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुरूप कृषि अवसंरचना को सौर ऊर्जा संयंत्रों के साथ एकीकृत किया जाता है।

प्रमुख घटक

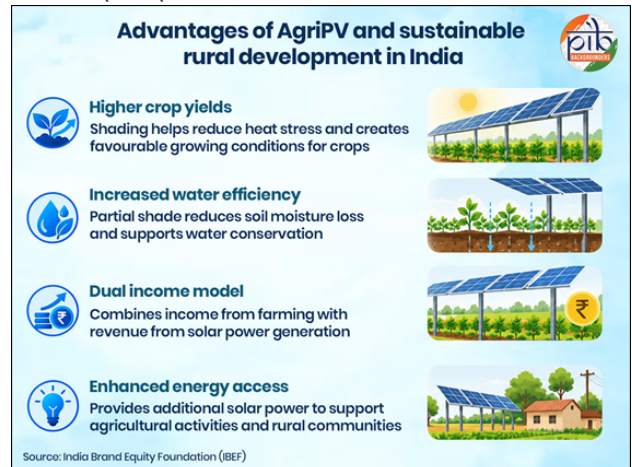
- **ऊँची सौर संरचनाएँ:** सौर पैनलों को सीधे भूमि पर लगाने के बजाय पर्याप्त ऊँचाई पर स्थापित किया जाता है, ताकि उनके नीचे उगाई जाने वाली फसलों तक सूर्य का प्रकाश और वर्षा का जल पहुँच सके।
 - कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली ये ऊँची सौर संरचनाएँ किसानों को उनके नीचे कृषि उपकरणों के साथ आसानी से कार्य करने की सुविधा भी प्रदान करती हैं।
- **आंशिक छायांकन:** सौर पैनल फसलों को छाया प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अत्यधिक गर्मी से बचाने और मृदा से जल के वाष्पीकरण को कम करने में सहायता मिलती है।
 - इससे पौधों के विकास के लिए अपेक्षाकृत ठंडा और स्थिर वातावरण तैयार होता है, विशेषकर उष्ण तथा शुष्क क्षेत्रों में।

- **भूमि की दोहरी उत्पादकता:** कृषि-फोटोवोल्टाइक्स फसल उत्पादन अथवा पशुपालन के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत करके भूमि के उपयोग को अनुकूलित करता है। इससे कृषि गतिविधियों के लिए विद्युत उपलब्ध होती है तथा अतिरिक्त विद्युत को विद्युत ग्रिड में बेचकर किसानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होता है।



भारत में कृषि-फोटोवोल्टाइक्स का विकास

- अगस्त 2025 तक भारत में 37.54 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 36 कृषि-फोटोवोल्टाइक्स परियोजनाएँ संचालित थीं, जबकि 10 प्रायोगिक परियोजनाएँ विकासाधीन थीं।
- **राज्यवार पहलें:**
 - **महाराष्ट्र:** मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के अंतर्गत किसानों को विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 16,000 मेगावाट की सौर परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
 - **गुजरात:** किसान सूर्योदय योजना किसानों को दिन के समय कृषि कार्यों के लिए विद्युत उपलब्ध कराती है।
 - **कर्नाटक:** सूर्य रायता योजना सौर सिंचाई पंपों को प्रोत्साहित करती है तथा किसानों को अतिरिक्त विद्युत बेचकर आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है। इससे ईंधन की खपत भी कम होती है।



भारत में कृषि-फोटोवोल्टाइक्स की संभावनाएँ

- भारत में कृषि-फोटोवोल्टाइक्स के विकास की व्यापक संभावनाएँ हैं।
 - अनुमानों के अनुसार, देश में इसकी संभावित क्षमता 3,000 गीगावाट से लेकर लगभग 14,000 गीगावाट तक हो सकती है। यह कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा के संगम पर उपलब्ध व्यापक अवसरों को दर्शाता है।
 - कृषि-फोटोवोल्टाइक्स प्रणालियाँ किसानों की आय के स्रोतों में विविधता लाने में भी सहायक हो सकती हैं।
 - कुछ परिस्थितियों में किसानों की वार्षिक आय लगभग ₹60,000 प्रति एकड़ से बढ़कर ₹1 लाख प्रति एकड़ से अधिक हो सकती है।
- **उच्च संभावनाओं वाले राज्य:** महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में कृषि-फोटोवोल्टाइक्स की व्यापक संभावनाएँ हैं। ये राज्य सामूहिक रूप से भारत की अनुमानित कृषि-फोटोवोल्टाइक्स विद्युत उत्पादन क्षमता के लगभग 50% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका प्रमुख कारण कृषि भूमि की उपलब्धता, पर्याप्त सौर संसाधन और अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों का संयोजन है।
- **मध्यम संभावनाओं वाले राज्य:** ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल में मध्यम स्तर की संभावनाएँ देखी जाती हैं।
 - दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य भारत के क्षेत्रों में सौर विकिरण, भूमि की उपलब्धता तथा बागवानी की सघनता का अपेक्षाकृत अनुकूल संयोजन पाया जाता है, जो बड़े पैमाने पर इस प्रणाली को अपनाने के लिए उपयुक्त है।

कृषि-फोटोवोल्टाइक्स के विकास हेतु सरकारी पहलें

- **प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM):** फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई यह योजना कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य डीजल पर निर्भरता कम करना तथा किसानों के लिए आय के विविध स्रोत विकसित करना है।
 - यह योजना विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन और कृषि पंपों के सौरकरण को भी बढ़ावा देती है, जिससे कृषि गतिविधियों के साथ सौर ऊर्जा के एकीकरण के अवसर उत्पन्न होते हैं।
- **कृषि-फोटोवोल्टाइक्स उत्कृष्टता केंद्र :** राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सहयोग से कृषि-फोटोवोल्टाइक्स संबंधी अनुसंधान, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है।

- **इंडिया एग्रीवोल्टाइक्स एलायंस (IAA):** वर्ष 2023 में प्रारंभ किया गया यह गठबंधन राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ (NSEFI) के नेतृत्व में संचालित होता है।

- यह एक बहु-हितधारक मंच है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन और कृषि के लिए भूमि के दोहरे उपयोग को बढ़ावा देता है।

स्रोत: PIB

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय का हानि एवं क्षति कोष

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय के हानि एवं क्षति कोष ने भोटेकोशी क्षेत्र में आई बाढ़ से हुई हानि से निपटने के लिए नेपाल हेतु 21.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि निर्धारित की है।

परिचय

- अगस्त 2026 में मानव गतिविधियों के कारण तीव्र हुई वैश्विक तापन प्रक्रिया और जलवायु परिवर्तन से संबंधित बर्फ एवं चट्टानों के हिमस्खलन ने भोटेकोशी-त्रिशूली-नारायणी नदी तंत्र में बाढ़ उत्पन्न कर दी।
- नेपाल के अनुमान के अनुसार, इस आपदा से कम-से-कम 2.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक हानि हुई है तथा पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास के लिए कम-से-कम 4.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।
- यह प्रथम बार है जब इस कोष ने किसी विशिष्ट देश के लिए धनराशि निर्धारित की है।

हानि एवं क्षति कोष के बारे में

- यह कोष संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) की वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है।
 - सरकारों ने वर्ष 2022 में COP27 के दौरान इस कोष की स्थापना पर सहमति व्यक्त की थी। इसके संचालन संबंधी मार्गदर्शक दस्तावेज को वर्ष 2023 में COP28 के दौरान अपनाया गया।
- इस कोष की स्थापना विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों को आर्थिक एवं गैर-आर्थिक हानियों से निपटने में सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इसमें चरम मौसमी घटनाओं तथा धीरे-धीरे विकसित होने वाली जलवायु संबंधी घटनाओं से होने वाली क्षति शामिल है।

- **लाभार्थी:** वे विकासशील देश जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। इसमें उन देशों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिनकी संस्थागत एवं कार्यान्वयन क्षमता सीमित है।

स्रोत: TH

नागरिक सुरक्षा नेटवर्क

समाचार में

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक अद्वितीय प्रायोगिक पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत भारतीय सेना द्वारा नागरिक सुरक्षा के मास्टर प्रशिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

नागरिक सुरक्षा

- भारत में नागरिक सुरक्षा की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1941 में की गई थी।
- मई 1968 में संसद द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या 27, 1968) पारित किया गया।
- इसका उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में जनजीवन की रक्षा करना, संपत्ति को होने वाली क्षति को न्यूनतम करना, आवश्यक सेवाओं एवं उत्पादन को बनाए रखना तथा जनमानस का मनोबल बढ़ाना है।
 - प्रारंभ में इसका मुख्य ध्यान शत्रु के हमलों से सुरक्षा प्रदान करने पर था। हालाँकि, वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण और वर्ष 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद इसके दायरे का विस्तार किया गया।
- वर्ष 2009 में संशोधित नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा दल की स्थापना को अधिकृत किया गया। साथ ही, प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाओं से पहले, उनके दौरान और उनके बाद आपदा प्रबंधन में इसकी जिम्मेदारियों का विस्तार किया गया।
- नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत परमाणु, जैविक एवं रासायनिक हमलों से उत्पन्न खतरों से सुरक्षा भी शामिल है।

स्रोत: PIB

पेंगुइन की बीट से अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की गति बढ़ने की आशंका

संदर्भ

- एक हालिया अध्ययन के अनुसार, पेंगुइन की बीट अंटार्कटिका में बर्फ के पिघलने की गति को बढ़ा सकती है।

परिचय

- **शैवाल का उर्वरीकरण:** पेंगुइन मछलियों और अन्य छोटे समुद्री जीवों को खाते हैं। इस भोजन से प्राप्त पोषक तत्व उनके शरीर से होकर गुजरते हैं और उनकी बीट के माध्यम से भूमि तथा बर्फ पर जमा हो जाते हैं।
 - इस प्रक्रिया में पेंगुइन अनजाने में बर्फ पर उगने वाले शैवाल को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।
- **हरे शैवाल :** अनुकूल परिस्थितियों में क्लोरोफिल जैसे हरे वर्णक सक्रिय रहते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं और तीव्रता से वृद्धि करते हैं।
- **लाल शैवाल :** जब पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है या परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती हैं, तो शैवाल सुरक्षा के लिए लाल वर्णक उत्पन्न कर सकते हैं। ये वर्णक उनकी कोशिकाओं को तीव्र सूर्यप्रकाश से बचाने में सहायता करते हैं।
- **बर्फ की परावर्तन क्षमता में कमी:** रंगीन शैवाल के फैलाव से बर्फ की सूर्यप्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता कम हो जाती है। परिणामस्वरूप, बर्फ अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित करती है, जिससे स्थानीय स्तर पर बर्फ पिघलने की गति बढ़ सकती है।

पेंगुइन

- पेंगुइन पक्षियों का एक समूह है, जिसमें 17 से 19 प्रजातियाँ शामिल हैं। ये मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में, विशेषकर अंटार्कटिका में पाए जाते हैं।
- ये उड़ने में असमर्थ जलीय पक्षी हैं और उत्कृष्ट तैराक होते हैं।
- इनका मुख्य भोजन मछलियाँ, क्रिल तथा स्क्विड हैं।
- पेंगुइन की विभिन्न प्रजातियाँ अलग-अलग क्षेत्रों में निवास करती हैं। उदाहरण के लिए, एम्परर पेंगुइन और एडेली पेंगुइन अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, जबकि गैलापागोस पेंगुइन भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाने वाले पेंगुइन की एकमात्र प्रजाति है।
- एम्परर पेंगुइन और गैलापागोस पेंगुइन, दोनों को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में आधिकारिक रूप से 'संकटग्रस्त' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

स्रोत: DTE

ऑस्कर क्लाइन पदक

संदर्भ

- प्रख्यात भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अशोक सेन को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित ऑस्कर क्लाइन पदक से सम्मानित किया गया है। वे यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भौतिक विज्ञानी बन गए हैं।

परिचय

- अशोक सेन को स्ट्रिंग सिद्धांत, ब्लैक होल की एंट्रॉपी तथा स्ट्रिंग फील्ड सिद्धांत में उनके अग्रणी योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।
- स्ट्रिंग सिद्धांत ब्रह्मांड की मूलभूत प्रकृति को समझने का प्रयास करता है। उनके योगदान ने आधुनिक सैद्धांतिक भौतिकी को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है।
- वे कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं।
- उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण, डिराक पदक, बोल्ज्मान पदक तथा मौलिक भौतिकी में ब्रेकथ्रू पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।

ऑस्कर क्लाइन पदक

- इस पदक की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। यह भौतिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।
- इसका नाम स्वीडन के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी ऑस्कर क्लाइन के नाम पर रखा गया है।
- यह पदक स्वीडन में स्टॉकहोम विश्वविद्यालय और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की नोबेल भौतिकी समिति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- इसके पूर्व प्राप्तकर्ताओं में नोबेल पुरस्कार विजेता स्टीफन हॉकिंग, पीटर हिग्स, चैन-निंग यांग, स्टीवन वाइनबर्ग और हांस बेथे शामिल हैं। यह इस पुरस्कार की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को रेखांकित करता है।

स्रोत: **AIR**

